

20/01/26

पत्रावैया हुई। वाही वकील उपर। प्रतिवादीगण की
तलवी हेतु मौका चाहा गया। पूर्व में अनेक
अवसर दिये जा चुके हैं। अन्य अवसर दिया जाना
~~उचित~~ उचित नहीं है। अतः पत्राव अदम पैरवी
में इसी स्तर पर C.P.C के नियम 09 R.D के
तहत स्वारिज की जाती है। पत्राव फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दारिखत
दफ्तर हो।

